भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5371

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्य

5371. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्यों, के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले को अनुदान सहित वित्तीय, तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन योजनाओं के तहत निधि आवंटित की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोनासीमा जिले में किए गए कटाव रोधी कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, विशेषकर गोदावरी बेसिन में, बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके लिए किए गए कार्यों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा नदी बेसिन प्रबंधन में सुधार लाने और गोदावरी नदी में, विशेषकर डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ के दौरान नदी के जलधारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए

"बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे मार्च, 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया।

एफएमबीएपी योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश की कोई भी बाढ़ प्रबंधन परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कोनासीमा जिले में कटाव-रोधन के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने संचालन तथा रखरखाव कार्यों की योजना के अंतर्गत धन आवंटित किया है। मुख्य अभियंता, गोदावरी डेल्टा प्रणाली, दोलईस्वरम के अधिकार क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में बाढ़ सामग्री के लिए प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की सूची के बारे में विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

मुख्य अभियंता, गोदावरी डेल्टा प्रणाली, दोलईस्वरम के अधिकार क्षेत्र में कोनासीमा जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ सामग्री के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि के साथ-साथ किए गए कार्यों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने “गोदावरी बाढ़ तटों को 1986 के मानकों के अनुसार ऊंचा और चौड़ा करने के साथ-साथ संरचनाओं की मरम्मत, नई संरचनाओं का निर्माण, रैंप और ग्रॉयन के निर्माण ” के लिए 548.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है और कार्य पूरा हो चुका है।

*****

अनुलग्नक-I

"आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्य" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मुख्य अभियंता, गोदावरी डेल्टा प्रणाली, दोलईस्वरम के अधिकार क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में बाढ़ सामग्री के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की सूची के संबंध में विवरण।

क्र. सं.	**वर्ष**	**प्रस्तावित/प्राप्त कार्य योजना**		**स्वीकृत कार्य योजना**	
		कार्यों की संख्या	**राशि (लाख में)**	**कार्यों की संख्या**	**राशि (लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2024-25	11	205.85	11	205.85
2	2023-24	19	390.92	11	216.70
3	2022-23	20	749.25	9	379.95
4	2021-22	13	261.51	6	181.54
5	2020-21	30	429.36	27	482.37

*****

अनुलग्नक-।।

"आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्य" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5371 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

मुख्य अभियंता, गोदावरी डेल्टा प्रणाली, दोलईस्वरम के अधिकार क्षेत्र में कोनासीमा जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ सामग्री के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि के साथ-साथ किए गए कार्यों की संख्या का विवरण।

क्र. सं.	**वर्ष**	**स्वीकृत, जारी और उपयोग किये गये कार्यों की संख्या**	**राशि (लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**
1	2024-25	5	97.33
2	2023-24	7	142
3	2022-23	9	379.95

*****